कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

पत्रांक 1338/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2020–21 दिनांकः– 14/07/2020

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम सहारनपुर को अपने नगरीय ठोस अपशिष्ठ के वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु पूर्व में कय की गयी भूमि ग्राम माहेश्वरी खुर्द के खसरा संख्या 01 व ग्राम घुन्ना के खसरा संख्या 72, 74, व 75 से मिलती/आस–पास की लगभग 14 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, इस भूमि की नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गो, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति स्त्रोतों से 200 मीटर तथा विमान पतनों या हवाई अड्डों से 20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिये, तथा तटीय विनियम जोन, नम भूमि महत्वूपर्ण आवासीय क्षेत्रों, संवेदनशील परिभिंगुर क्षेत्रों और विगत 100 वर्षो से यथा दर्ज बाढ के मैदानों के अन्दर की भूमि नही होनी चाहिये।

इच्छुक भू–स्वामी जो उपरोक्त मानकों के अनुरूप नगर निगम को उक्त प्रयोजन हेतु अपनी निर्विवादित भूमि विकय करना चाहते है, अपने भू–स्वामित्व प्रपत्रों नकल, खसरा, खतौनी, एवं हिस्सा प्रमाण पत्र, न्यूनतम मूल्य के साथ प्रस्ताव 15 दिवस के अन्दर नगर निगम कार्यालय में सम्पत्ति प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते है। उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नगर निगम के सम्पत्ति अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है। यह सूचना नगर निगम की वेबसाइट WWW.saharanpurnagarnigam.in पर भी उपलब्ध है।

सम्पत्ति प्रभारी
नगर निगम सहारनपुर

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–

1– मा0 आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मा0 महापौर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–जिला अधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4–नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
5–लेखाधिकारी, नगर निगम सहारनपुर।
6–मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम सहारनपुर।
7– प्रभारी मीडिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार दो समाचार पत्र दैनिक .... एंव दैनिक.................................. समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा।
8– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर।

Scanned with CamScanner